न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—93/2019 (2019/00123) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जसुदेवी पुत्री हीरा पत्नि हजारी कुमावत निवासी मेघाकाखेड़ा (दियास) तहसील सहाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—बदामदेवी पुत्री मांगु पत्नि उदा कुमावत निवासी नीमखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2—कंकुदेवी पुत्री मांगु पत्नि लालु कुमावत निवासी चावण्डिया हाल मेघाकाखेड़ा तहसील सहाड़ा
3—तहसीलदार साहब एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीया
2. जगदीश चन्द व्यास — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांकः—12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दियास पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 व 2 की पैतृक मौरूषी साबिक कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 1 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 15 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 26 रकबा 10 बिस्वा, 28 रकबा 18 बिस्वा, 48 रकबा 19 बिस्वा, 51/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 71/1 रकबा 17 बिस्वा, 93 रकबा 10 बिस्वा, 100 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 176 रकबा 18 बिस्वा, 178 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 184 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 189 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 244 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा भूमि मेवाड़ स्टेट के समय ये प्रार्थीया के पिता हीरा पिता गुला व कालु, सोला, सुरजमल, केला पांचो सगे भाई थे। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 1984 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता हीरा का 1/5 हिस्सा था। इसके पश्चात उक्त भूमियो का विभाजन होने व प्रार्थीया के पिता हीरा की मृत्यु होने व सुरजमल के लाऔलाद फोत होने पर आराजी 1/3 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, आराजी 15/3 रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा, आ.स. 26 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा, आ.नं. 71/1ख रकबा 9 बिस्वा आ. स.178/1 रकबा 14 बिस्वा आ.स. 184/2 रकबा 1 बिघा, आ.स. 244/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 7 विघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के भाई मागू, भीमा, पिता हीरा के नाम दर्ज हुई प्रमाण में साबिक जमाबन्दी 2011 से 2013 की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। इसी तरह साबिक खाता सं 8 में अंकित आ.स. 66 रकबा 3 बिस्वा भूमि हरा, नाथू पिता कालु केला सोला पिता तलोक, हीरा पिता गुला व अन्य खातेदारान के सामलाती दर्ज रेकार्ड थी जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/48 वा हिस्सा था। इसी तरह साबिक खाता सं. 17 में अंकित आ.स. 51/1 रकबा 2 बिस्वा आ.सं 103 रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिघा 13 बिस्वा भूमि हरा, नाथू पिता कालु, केला, सोला पिता तलोक, हीरा पिता गुला व अन्य खातेदारान के सामलाती दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/8 हिस्सा था। इसी तरह साबिक खाता सं. 18 में अंकित आ.सं. 182 रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा भूमि हरा, नाथू पिता कालु केला, सोला पिता तलोक, हीरा पिता गुला व अन्य खातेदारान के सामलाती दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/12 हिस्सा था। इसी तरह साबिक खाता सं. 19 में अंकित आ.सं 183 रकबा 4 बिस्वा भूमि भूमि हरा, नाथू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:04 IST
Reason: SelfAttested

पिता कालु, केला, सोला पिता तलोक, हीरा पिता गुला व अन्य खातेदारान के सामलाती दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/20 हिस्सा था। इसी तरह साबिक खाता सं. 39 में अंकित आ.सं.17/2ग रकबा 3 बिस्वा भूमि हीरा पिता गुला, सोला पिता तलोक के नाम दर्ज थी जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/2 हिस्सा था। इसी तरह साबिक खाता सं. 54 में अंकित आ.सं. 2 रकबा 3 बिघा, आ. सं. 4 रकबा 4 बिघा, आ.सं. 5 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा, आ.स. 6 रकबा 3 बिघा 1 बिस्वा, आ.सं 7 रकबा 3 बिस्वा, आं.स. 8 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 12 बिघा 13 बिस्वा भूमिया कालु केला, सोला, सुरजमल पिता तलोक हीरा पिता गुला के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा सुरजमल की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया के पिता का 1/4 हिस्सा था। इसी तरह साबिक खाता संख्या 78 में अकिंत आ.स. 22/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आ. स. 33/2 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/3 हिस्सा था। इसी तरह साबिक आराजी संख्या 19 रकबा 2 बीधा 7 बिस्वा, आ. स. 20 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के पिता नाम दर्ज रेकार्ड थी प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 2011 से 2013, 2026 से 2029, 2037 से 2040 की प्रस्तुत की है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण धर्म से हिन्दु होकर हिन्दु विधी से शासित होते हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या एक से दो के पिता मांगु सगे भाई बहन है तथा प्रार्थीया एवं मांगु के मूल पुरुष गुला पिता तलोक थे। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण सं. 1 व 2 के पिता मांगु के अलावा एक पुत्र भीमा व एक पुत्री नोजीदेवी थी दोनो की लाऔलाद मृत्यु हो गई है। प्रार्थीया के पिता हीरा की मृत्यु सवत् 2026 से 2029 में हो गई प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया एवं विपक्षीगण सं. 1 व 2 के पिता मांगु मृतक हीरा के जाइन्दा पुत्र व पुत्री होकर हीरा जी की मृत्यु के पश्चात प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। प्रार्थीया का मृतक हीरा जी की कृषि आराजियात में जन्म से हक एवं हिस्सा है। प्रार्थीया के भाई मांगु की भी दिनांक 19.06.19 को मृत्यु हो चुकी है तथा विपक्षीगण सं. 1 व 2 मृतक मांगु की जाईन्दा पुत्रीया होकर विधिक वारिसान है। परंतु अभी तक विरासत का नामांतरण दर्ज नहीं हुआ जिससे उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात प्रार्थीया की पैतृक मौरूषी कृषि आराजियात हैं। प्रार्थीया के पिता हीरा की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण संख्या 95 दिनांक 21.05.1972 को निर्णित करते समय रेवन्यु एजेंसी ने प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिए बिना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत विधी विरुद्ध रूप से नामान्तरण निर्णित कर केवल मांगु का नाम राजस्व जमाबंदी में दर्ज किया गया तथा प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा आठ के अनुसार प्रार्थीया मृतक हीरा जी की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होकर वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया का विपक्षीगण संख्या एक व दो के पिता मांगु के साथ साथ बराबर हक हिस्सा है तथा प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रहीं हैं। नामान्तरण संख्या 95 दिनांक 21.05.1972 विधी विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रार्थीया के मुकाबले बेअसर होकर शुरू से ही नल एण्ड वॉईड हैं जिससे विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से ग्राम दियास का भी भू प्रबन्ध हुआ जिससे प्रार्थीया की मौरूषी साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर कायम किये गये जो निम्न है ग्राम दियास के खाता संख्या 46 में अकिंत आ.स. 10 रकबा 0.37 है0, आ.स. 11 रकबा 0.20 है0, आ.स. 22 रकबा 0.34 है0, आ.स. 23 रकबा 0.13 है0, आ.स. 24 रकबा 0.10 है0,

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:04 IST
Reason: SelfAttested

आ.स. 25 रकबा 0.23 है0, आ.स. 26 रकबा 0.21 है0, आ.स. 27 रकबा 0.16 है0, आ.स. 28 रकबा 0.07 है0, आ.स. 29 रकबा 0.63 है0, आ.स. 30 रकबा 0.03 है0, आ.स. 31 रकबा 0.19 है0, आ.स. 206 रकबा 0.08 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.74 है0 भूमियों में प्रार्थीया के पिता के 1/4 हिस्से मे से 1/2 यानि सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा है। इसी तरह नवीन खाते से 48 में अकित आ.सं. 99 रकबा 0.25 है. आ.सं. 100 रकबा 0.02 है. आ.स.101 रकबा 0.14 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.41 है में प्रार्थीया के पिता के 1/3 हिस्से में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है यानि सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा है। इसी तरह नवीन खाता सं. 42 में अकित आ.सं. 387 रकबा 0.31 है. आ.स. 390 रकबा 0.22 है. आ.सं. 391 रकबा 0.24 है. कुल किता 3 रकबा 0.77 है. में प्रार्थीया के पिता का 1/8 हिस्सा है जिसमें भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा है। इसी तरह नवीन खाता सं. 96 में अंकित आ.सं. 83 रकबा 0.41 है. आ.सं. 94 रकबा 0.80 है. आ.स. 110 रकबा 0.32 है. आ.सं. 211 रकबा 0.10 है. आ.सं. 564 रकबा 0.15 है. आ.सं. 588 रकबा 0.22 है. आ.सं. 935 रकबा 0.22 है. आ.स. 936 रकबा 0.06 है. कुल किता 8 कुल रकबा 2.28 है0 भूमिया सम्पूर्ण प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है। इसी तरह नवीन खाता सं. 94 में अंकित आ.स. 580 रकबा 0.23 है. आ.सं. 583 रकबा 0.25 है. आ.स. 584 रकबा 0.41 है. आ.स. 585 रकबा 0.04 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 है, जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/9 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है यानि सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीया का 1/18 हिस्सा है। इसी तरह नवीन खाता सं. 39 में अंकित आ.सं. 198 रकबा 0.02 है. में प्रार्थीया के पिता का 1/10 हिस्सा था जिसमें भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते में 1/20 हिस्सा है। इसी तरह नवीन खाता 41 में अंकित आ.स. 165 रकबा 0.02 है. में प्रार्थीया के पिता का 1/8 हिस्सा है जिसमें में भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा है। इसी तरह नवीन खाता 91 में अंकित आ.सं. 588 रकबा 0.04 है, में प्रार्थीया के पिता का 1/20 हिस्सा है जिसमें भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते में 1/40 हिस्सा है। परंतु रेवन्यु एजेन्सी द्वारा वादीया के पिता की मृत्यु के पश्चात सम्पुर्ण भूमियों में प्रार्थीया के भाई मांगु का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया अपने पिता के हिस्से की भुमियो के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिससे नामान्तरण संख्या 95 दिनांक 21.05.1972 को निरस्त घोषित फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया को उसके पिता के हिस्से की उक्त भूमियो में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया के भाई मांगु की मृत्यु दिनांक 19.06.2019 को हो चुकी है। मांगु ने अपने जीवनकाल में खाता संख्या 96 में अकिंत कुल किता 8 कुल रकबा 2.28 है0 मे से 1/2 हिस्सा विपक्षीगण कंकु के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करवा रजिस्ट्री करवा दी तथा विपक्षीगण ने उक्त भूमियो का विभाजन करवा लिया जिससे विभाजन के पश्चात नवीन आराजी संख्या 1052/83 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 1053/94 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1054/110 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 564 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 588 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 है0 प्रार्थीया के भाई मांगु के नाम व नचीन आराजी संख्या 1055/83 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1056/94 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1057/110 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 935 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 236 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 211 रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.14 है0 विपक्षीगण कंकु के नाम दर्ज की गई उक्त विक्रय पत्र प्रार्थीया के मुकाबले शुरू से शुन्य होकर बेअसर है जिससे उक्त विक्रय की गई भूमियो को विपक्षीगण कंकु के हिस्से से कम किया जाकर प्रार्थीया को उसके पिता के हिस्से की भूमियों में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रथम दुष्टया मामला है वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीया की मौरूषी भूमियां है जिस पर प्रार्थीया अपने पिता के समय से ही अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीया विरूद्व विपक्षी संख्या 1 व 2 ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात को विपक्षी संख्या 1 व 2 किसी अन्य को रहन बय, बक्षीस नही करें एवं प्रार्थीया को अपने हक व हिस्से की भूमियों पर काश्त कर काश्त लाभ लेने देवे एवं किसी प्रकार की दंखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा विपक्षी संख्या 3 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीया के हक व हिस्से की भूमियो को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस कर प्रार्थीया को कब्जे काश्त से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः प्रार्थीया के नाम दर्ज करवा कब्जा प्रार्थीया को दिलाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 24.07.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीया व स्व. मांगु के अलावा नोजीदेवी लाऔलाद फोत नही हुई उनकी पुत्री सुगना है जो जिवित है। प्रार्थीया का स्व. हीरा की कृषि भूमि में जन्म से कोई हिस्सा बनी बनता है। प्रार्थीया के भाई मांगु की मृत्यु सन् 2019 में नही हुई है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सन् 1972 में पुत्रीयों को पैतृक कृषि भूमि में कोई अधिकार नही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में कृषि भूमियों पुत्रीयो को कोई अधिकार बाबत् वर्णन नही है बल्कि 2005 में हिन्दु उत्तराणिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन कर पुत्रीयो को भी पैतृक कृषि भूमियों में हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है। प्रार्थीया की सगी बहन नोजी है जिसका देहान्त सन 2011 में हुआ नोजी की पुत्री सुगना जिवित है। प्रार्थीया का कोई हिस्सा व कब्जा नही है। कॉलम 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। मजीद के कथन के रूप निवेदन किया कि खाता संख्या 46 में अकिंत आराजियात मे से आराजी संख्या 10, 11 एवं 206 स्वयं प्रार्थीया के नाम दर्ज है इन तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज होने योग्य है। खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अकिंत विवादित भूमि प्रार्थीया की पैतृक भूमि है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद विरासत की कार्यवाही की गई उस नामान्तकरण में प्रार्थीया का नाम दर्ज नही करने से भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता मांगु के नाम सम्पूर्ण भूमि दर्ज हो गई जबकि प्रार्थीया का भी हक व हिस्सा है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट आरआरटी 2020 (2) पेज 998 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य की पेश करते प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें मुख्य कथन किया कि मेवाड़ स्टेट के समय से जो भूमियां हीरा पिता गुला कालु सोला सुरजमल केला पिता तिलोक के नाम दर्ज थी जो गुला कालु सोला सुरजमल कालु पांचो सगे भाई थे और प्रार्थीया के पिता का 1/5 हिस्सा था। हीरा की विरासत नामान्तकरण संख्या 95 से प्रार्थीया का नाम नही लगा जिससे उन्हे कोई हक नही है। लगभग 50 वर्ष से मांगु के नाम चली आ रही है। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार नही है। रेकाडेर्ड खातेदार के विरूद्व धारा 212 के तहत्

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:04 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अपने समर्थन में डीएनजे 2013 रेवेन्यु पेज 18, डीएनजे 2016 रेवेन्यु पेज 231, आरआरडी 2020 पेज 246, आरआरटी 2020 (2) पेज 1122 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीया कि पैतृक भूमि है प्रार्थीया के पिता का वादवर्णित भूमियो में दर्ज हिस्से में से 1/2 हिस्सा की प्रार्थीया हकदार है किन्तु प्रार्थीया के पिता की विरासत के दौरान प्रार्थीया के नाम विरासत दर्ज नही होने से प्रार्थीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मांगु पिता हीरा के नाम दर्ज हो गयी जबकि प्रार्थीया का भी नाम दर्ज होना चाहिये था। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागु नही होते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दुष्टान्त सुप्रीम कोर्ट आरआरटी 2020 (2) पेज 998 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य पूर्णतया चस्पा होता है।

उपरोक्त विवरण अनुसार प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है अगर विपक्षी के द्वारा भूमि खुर्द बुर्द कर दी है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर बहक प्रार्थीया विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम दियास के खाता संख्या 46 में अकिंत कुल किता 13 कुल रकबा 2.74 है0 भूमियों में प्रार्थीया के पिता के 1/4 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा, नवीन 48 में अकिंत कुल किता 3 कुल रकबा 0.41 है में प्रार्थीया के पिता के 1/3 हिस्से में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता सं. 42 में अकित कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 है. में प्रार्थीया के पिता का 1/8 हिस्सा है जिसमें भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता सं. 96 में अंकित कुल किता 8 कुल रकबा 2.28 है0 भूमिया सम्पूर्ण प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता सं. 94 में अंकित कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 है0 भूमि, जिसमें प्रार्थीया के पिता का 1/9 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता सं. 39 में अंकित आ.सं. 198 रकबा 0.02 है. में प्रार्थीया के पिता का 1/10 हिस्सा था जिसमें भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता 41 में अंकित आ.स. 165 रकबा 0.02 है. में प्रार्थीया के पिता का 1/8 हिस्सा है जिसमें में भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता 91 में अंकित आ.सं. 588 रकबा 0.04 है, में प्रार्थीया के पिता का 1/20 हिस्सा है जिसमें भी प्रार्थीया का 1/2 हिस्से की भूमि में विपक्षी संख्या 1 व 2 किसी अन्य को रहन बय, बक्षीस नही करें एवं प्रार्थीया को अपने हक व हिस्से की भूमियों पर काश्त कर काश्त लाभ लेने देवे एवं किसी प्रकार की दंखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा विपक्षी संख्या 3 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-10-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:04 IST
Reason: SelfAttested